

प्रेस विज्ञप्ति

थाना- सरायमीर

अपहरण के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

वादी मुकदमा थाना सरायमीर आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 24.05.24 को विपक्षी सोनू प्रजापति पुत्र नरेन्द्र प्रजापति मोहल्ला चककाजी सरायमीर द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री उम्र 18 वर्ष को बहला फुसला कर कहीं लेकर चला गया है मेरी पुत्री घर से जेवर 45 से 50 हजार रूपये का और 18000 हजार रूपये नगद जो कि घर में रखा अपने साथ लेकर चली गयी हैं, के सम्बन्ध में थाना सरायमीर पर मु0अ0स0 289/24 धारा 366 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण -

दिनांक 03.06.24 को उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त के नामजद वांछित अभियुक्त सोनू प्रजापति पुत्र नरेन्द्र प्रजापति सा0 मोहल्ला चककाजी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को खरेवा मोड़ के पास से समय करीब 08.30 बजे सुबह हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 289/24 धारा 366/506 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त 1.सोनू प्रजापति पुत्र नरेन्द्र प्रजापति सा0 मोहल्ला चककाजी थाना सरायमीर आजमगढ़
गिरफ्तार करने वाले टीम-

- 1- उ0नि0 अभिषेक सिंह थाना सरायमीर आजमगढ़
2. का0 विक्रम यादव थाना सरायमीर आजमगढ़

थाना- बरदह

किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 02.06.24 को वादिनी मुकदमा थाना बरदह आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि दिनांक 16.05.24 की रात्रि में 22.00 बजे विपक्षी सुधीर पुत्र मनोज निवासी ग्राम कुड़िहर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर उसकी 15 वर्षिय पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया है कि उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 179/2024 धारा 376(3),452,506 भादवि 4(2) पाक्सो एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़ बनाम सुधीर उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 03.06.24 को प्राभारी निरीक्षक बरदह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुधीर पुत्र मनोज निवासी ग्राम कुड़िहर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को समय 08.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

- 1- मु0अ0सं0 179/2024 धारा 376(3),452,506 भादवि 4(2) पाक्सो एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-सुधीर पुत्र मनोज निवासी ग्राम कुड़िहर थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. प्र0नि0 अखिलेश कुमार मौर्य थाना बरदह, आजमगढ़
2. व0उ0नि0 कमल कान्त वर्मा थाना बरदह, आजमगढ़
3. का0 आशुतोष कुमार थाना बरदह, आजमगढ़
4. का0 राजेन्द्र कुशवाहा थाना बरदह, आजमगढ़
5. म0आ0 प्रीती पटेल थाना बरदह, आजमगढ़

थाना- जीयनपुर

किशोरी को अगवा करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 08.05.2024 को वादिनी मुकदमा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी राजन राजभर पुत्र स्व0 सुबाष राजभर द्वारा वादिनी मुकदमा की पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष है को दि0 30/04/2024 को समय करीब रात में 10 से 11 के बहला फुसला कर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 198/2024 धारा 363/366 भादवि व 3(2)5 एस.एसटी.एक्ट बनाम राजन राजभर पुत्र स्व0 सुबाष राजभर निवासी अहिरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत होकर विवेचना विवेचना श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय सगड़ी द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 03.06/2024 को उ0नि0 धनन्जय सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृता व अभियुक्त राजन पुत्र सुबाष निवासी ग्राम अहिरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को रजादेपुर चौराहे के पास से समय 11.50 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0- 198/2024 धारा 363/366 भादवि व 3(2)5 एस.एसटी.एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- राजन पुत्र सुबाष निवासी ग्राम अहिरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष अपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 धनन्जय सिंह थाना जीयनपुर आजमगढ़
2. हे0का0 बृजेश यादव थाना जीयनपुर आजमगढ़
3. म0का0 उषा दुबे थाना जीयनपुर आजमगढ़

थाना रौनापार

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण -

वादिनी मुकदमा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ने थाना रौनापार पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 24.05.24 को समय करीब 08.00 बजे रात्रि में विपक्षी बनाम 1. धर्मेन्द्र यादव पुत्र सांता यादव निवासी ग्राम बाढू का पूरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, 2. आदर्श पटेल पुत्र समरजीत पटेल निवासी ग्राम उर्दिहा नई बस्ती कोलवा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, 3. मनीष मौर्य पुत्र सुभाष मौर्य निवासी ग्राम रोशनगंज थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी की पुत्री उम्र 16 वर्ष को बहला फुसलाकर शादी हेतु भगा ले जाने तथा वादिनी द्वारा धर्मेन्द्र के घर पुछने पर गाली गुप्ता देते हुये जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिनांक 28.05.24 को मु0अ0सं0 225/2024 धारा 363,366,504,506 भा.द.वि. बनाम आदि 03 नफर के पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान अपहृता की बरामदगी व बयान अन्तर्गत धारा 164 सीआरपीसी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोतरी किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 03.06.2024 को उ0नि0 उमाशंकर मय हमराह मुकदमा उपरोक्त के मुख्य अभियुक्त मनीष मौर्य पुत्र सुभाष मौर्य निवासी ग्राम रोशनगंज थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष को अभियुक्त के घर दबिश देकर समय करीब 7.20 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 225/24 धारा 376,363,366,504,506 भा.द.वि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना रौनापार आजमगढ़।
आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त- मनीष मौर्य पुत्र सुभाष मौर्य निवासी ग्राम रोशनगंज थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 उमाशंकर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. का0 अखिलेश पाण्डेय थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 01 अभियुक्त को 03 वर्ष कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना अहरौला: किशोरी के साथ छेड़खानी करने के अभियोग में 01 आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास व 25 हजार रूपयें जुर्माना

➡ दिनांक-19.04.2017 को वादिनी मुकदमा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने थाना अहरौला पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी अंगद यादव पुत्र अगर्दी यादव नि0 रकबा जलालपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी मुकदमा के साथ घर में जाकर अश्लील हरकतें की गयी, मना करने पर वादिनी के भाई को गाली-गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गयी थी।

➡ जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-225/2017 धारा 354क, 452, 323, 504, 506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त अंगद यादव उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

➡ उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में कुल 08 गवाह परिक्षित हुए हैं।

➡ जिसके क्रम में आज दिनांक- 03.06.2024 को मा0 न्यायालय (पाक्सो कोर्ट) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त अंगद यादव पुत्र अगर्दी यादव नि0 रकबा जलालपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को 03 वर्ष के कारावास एवं 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।